न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :60/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/81)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जीत सिह पुत्र हजूर सिंह जाति बावरी आयु 64 वर्ष निवासी 32 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 2. वीर सिह पुत्र हजूर सिह जाति बावरी आयु 63 वर्ष निवासी 6 एफ द्वितीय कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 3. नानक सिह पुत्र कृष्ण सिंह जाति बावरी आयु 52 वर्ष निवासी वार्ड न0 12, वीपीओ बडी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. गुरमेल कौर पुत्री किशना राम उर्फ कृष्ण सिंह पत्नी मुख्त्यार सिह जाति बावरी आयु 46 वर्ष निवासी वार्ड नं0 06, चक 39 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरमुख सिह पुत्र हजूर सिह जाति बावरी निवासी 16 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना(मृतक) 3/1. राज कौर पत्नी गुरमुख सिंह जाति बावरी निवासी 16 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 3/2. सतनाम सिह पुत्र गुरमुख सिंह जाति बावरी निवासी 16 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 3/3. वीरपाल कौर पुत्री गुरमुख सिंह जाति बावरी निवासी 16 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 3/4. मनजीत कौर पुत्री गुरमुख सिंह जाति बावरी निवासी 16 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 3/5. सरजीत कौर पुत्री गुरमुख सिंह जाति बावरी निवासी 16 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

तारीख रजू:— 17.09.2025

उपस्थित: 1.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

दिनांक : 22.12.2025

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 13 एस ए, पटवार मण्डल 2 एक्स की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/51 के मुरब्बा नम्बर 14 व मुरब्बा नम्बर 59/8 में कुल 6.3120 हैक्टेयर कृषि भूमि में से गुरमुख सिह पुत्र हजूर सिंह के नाम 1/24 हिस्सा एवं हरजीत सिह पुत्र हजूर सिंह के नाम 1/24 हिस्सा व वीर सिह पुत्र किशना राम के नाम 131/6312 हिस्सा, शमकौर पत्नी किशना राम के नाम 11/526 हिस्सा, सुखा सिंह पुत्र किशना राम के नाम 131/6312 हिस्सा व सरजीत कोर पुत्री किशना राम के नाम 11/526 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त जमाबंदिया में से सम्वत 2075 ता 2077 की जमाबंदी का आनलाईन इन्द्राज करते समय सहबन से लिपिकीय त्रुटि के कारण वीर सिह पुत्र हजूर सिंह का नाम हटा दिया गया है, जिस कारण वर्तमान की जमाबंदी में उक्त खातेदार वीर सिह पुत्र हजूर सिंह का नाम अंकित नहीं है। इस कारण वादी संख्या 2. वीर सिह पुत्र हजूर सिह अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। उक्त राजस्व जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2077 में क्रम संख्या 20 पर हरजीत सिह पुत्र हजूर सिंह नाम अंकित है, जिसका वास्तविक नाम जीत सिंह उर्फ हरजीत सिंह पुत्र हजूर सिंह है। क्रम संख्या 13 पर वीर सिह पुत्र किशना राम नाम अंकित है, जिसका वास्तविक नाम नानक उर्फ वीर सिंह पुत्र कृष्ण सिंह उर्फ किशना राम है। इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 3 का राजस्व अभिलेख में नाम क्रम संख्या 18 सरजीत कौर पुत्री किशना राम अंकित है, जबकि उसका वास्तविक नाम

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

गुरमेल कौर उर्फ सरजीत कौर पुत्री किशना राम उर्फ कृष्ण सिंह है। राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम भिन्न होने एवं वादी संख्या 2 का नाम अंकित नही होने के कारण तथा राजस्व अभिलेख मे पहचान संबंधित दस्तावेजो के अनुसार नाम नहीं होने के कारण, वादीगण को कई असुविधा कारित होती है। वर्तमान में बैंकिग क्षेत्र व सरकार/राज्य सरकार के अधीन जारी समस्त सुविधो का समस्त कार्य आनलाईन आरम्भ होने के कारण, वर्तमान में आनलाईन विवरण ही स्वीकार्य कर दिया गया है। इस कारण वादीगण के नाम में त्रुटि होने के कारण नाम पृथक-पृथक अंकित है, जिस कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील श्रीकरणपुर के वाके चक 13 एस ए, पटवार मण्डल 2 एक्स की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2077 के खाता संख्या 51/51 के मुरब्बा नं0 14 व मुरब्बा नं0 59/8 में कुल 6.3120है0 कृषि भूमि में दर्ज वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम के संबंध में तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर से तथात्मक व राजस्व अभिलेख हेतु रिपोर्ट तलब की जावे एवं क्रमांक संख्या :-20 पर हरजीत सिह पुत्र हजूर सिंह के स्थान पर जीत सिंह उर्फ हरजीत सिंह पुत्र हजूर सिंह, क्रमांक संख्या :- 13 पर वीर सिह पुत्र किशना राम के स्थान पर नानक उर्फ वीर सिंह पुत्र कृष्ण सिंह उर्फ किशना राम तथा प्रतिवादी संख्या 3 का क्रमांक संख्या :- 18 सरजीत कौर पुत्री किशना राम के स्थान पर गुरमेल कौर उर्फ सरजीत कौर पुत्री किशना राम उर्फ कृष्ण सिंह नाम घोषित किया जावे एवं वादी संख्या 2 वीर सिह पुत्र हजूर सिह का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु आदेश व डिक्री पारित की जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। संशोधित शीर्षक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वादीगण के साथ-साथ मुझ प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 13 एस ए की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/51 में क्रम संख्या 18 में सरजीत कौर पुत्री किशना राम जाति बावरी 11/526 हिस्सा के स्थान पर गुरमेल कौर उर्फ सरजीत कौर पुत्री किशना राम उर्फ कृष्ण सिंह नाम घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादी संख्या 3/1 ता 3/5 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1806 दिनांक 09.07.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई तो उपस्थित लोगों ने बताया कि वे वादीगण व प्रतिवादीगण को अच्छी तरह से जानते व पहचानते है। इनके नाम चक 13 एस ए के मुरब्बा नम्बर 14 में भूमि दर्ज है, जो विरास्तन प्राप्त हुई है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामों के संबध में पूछताछ कि ये बचपन के नाम है। जीत सिंह का राजस्व रिकॉर्ड में नाम हरजीत सिंह है, जीत सिंह व हरजीत सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। नानक सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में वीर सिंह है। नानक सिंह व वीर सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जबकि प्रतिवादीगण गुरमेल कौर पुत्री किशनाराम उर्फ कृष्ण की शादी से पूर्व पीहर पक्ष का नाम सरजीत कौर था, शादी के बाद ससुराल पक्ष के द्वारा नाम बदलकर गरमैल कौर कर दिया गया। साक्ष्यवादी में गवाह गुरमैल कौर, गुरमेल सिंह, रामलाल, जीत सिंह, नानक, के शपथ पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/51 की प्रति, राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2066 ता 2069 के खाता संख्या 17/16 की प्रति, राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ. नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 16/17 की प्रति, राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2058 ता 2061 के खाता संख्या 17/18 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा राजस्व ग्राम 13 एस ए,

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/51 के मुरब्बा नम्बर 14, 59/8 की कुल 6.312 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 20 पर अंकित नाम हरजीत सिह पुत्र हजूर सिंह के स्थान पर जीत सिंह उर्फ हरजीत सिंह पुत्र हजूर सिंह, क्रम संख्या 13 पर अंकित नाम वीर सिह पुत्र किशना राम के स्थान पर नानक उर्फ वीर सिंह पुत्र कृष्ण सिंह उर्फ किशना राम तथा प्रतिवादी संख्या 2 का क्रम संख्या 18 सरजीत कौर पुत्री किशना राम के स्थान पर गुरमेल कौर उर्फ सरजीत कौर पुत्री किशना राम उर्फ कृष्ण सिंह नाम घोषित किया जावे एवं वादी संख्या 2 वीर सिह पुत्र हजूर सिह का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम जीत सिंह पुत्र हजूर सिंह, वीर सिंह पुत्र हजूर सिंह, नानक पुत्र कृष्ण सिंह, गुरमेल कौर पत्नी मुखत्यार सिंह दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई तो उपस्थित लोगों ने बताया कि वे वादीगण व प्रतिवादीगण को अच्छी तरह से जानते व पहचानते है। इनके नाम चक 13 एस ए के मुरब्बा नम्बर 14 में भूमि दर्ज है, जो विरास्तन प्राप्त हुई है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामों के संबध में पूछताछ कि ये बचपन के नाम है। जीत सिंह का राजस्व रिकॉर्ड में नाम हरजीत सिंह है, जीत सिंह व हरजीत सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। नानक सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में वीर सिंह है। नानक सिंह व वीर सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जबकि प्रतिवादीगण गुरमेल कौर पुत्री किशनाराम उर्फ कृष्ण की शादी से पूर्व पीहर पक्ष का नाम सरजीत कौर था, शादी के बाद ससुराल पक्ष के द्वारा नाम बदलकर गरमैल कौर कर दिया गया। अतः वाद पत्र वादीगण, व प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र गवाह के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 व प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/51 के मुरब्बा नम्बर 14, 59/8 की कुल 6.312 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 20 पर अंकित नाम हरजीत सिह पुत्र हजूर सिंह के स्थान पर हरजीत सिंह उर्फ जीत सिंह पुत्र हजूर सिंह, क्रम संख्या 13 पर अंकित नाम वीर सिह पुत्र किशना राम के स्थान पर वीर सिंह उर्फ नानक पुत्र कृष्ण सिंह उर्फ किशना राम तथा क्रम संख्या 18 पर अंकित नाम सरजीत कौर पुत्री किशना राम के स्थान पर सरजीत कौर उर्फ गुरमेल कौर पुत्री किशना राम उर्फ कृष्ण सिंह नाम दर्ज किए जाने व हरजीत सिंह, गुरमुख सिंह पिसरान हजूर सिंह के नाम दर्ज 0.526 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 2 वीर सिंह पुत्र हजूर सिंह को 0.175 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जीत सिह पुत्र हजूर सिंह जाति बावरी आयु 64 वर्ष निवासी 32 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 2. वीर सिह पुत्र हजूर सिह जाति बावरी आयु 63 वर्ष निवासी 6 एफ द्वितीय कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 3. नानक सिह पुत्र कृष्ण सिंह जाति बावरी आयु 52 वर्ष निवासी वार्ड न0 12, वीपीओ बडी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. गुरमेल कौर पुत्री किशना राम उर्फ कृष्ण सिंह पत्नी मुख्त्यार सिह जाति बावरी आयु 46 वर्ष निवासी वार्ड नं0 06, चक 39 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरमुख सिह पुत्र हजूर सिह जाति बावरी निवासी 16 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना(मृतक) 3/1.राज कौर पत्नी गुरमुख सिंह जाति बावरी निवासी 16 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 3/2.सतनाम सिह पुत्र गुरमुख सिंह जाति बावरी निवासी 16 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 3/3.वीरपाल कौर पुत्री गुरमुख सिंह जाति बावरी निवासी 16 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 3/4.मनजीत कौर पुत्री गुरमुख सिंह जाति बावरी निवासी 16 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 3/5.सरजीत कौर पुत्री गुरमुख सिंह जाति बावरी निवासी 16 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 60/2025

निर्णय दिनांक :- 22.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर **पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने** व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री** पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री

व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने** पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 व प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/51 के मुरब्बा नम्बर 14, 59/8 की कुल 6.312 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 20 पर अंकित नाम हरजीत सिह पुत्र हजूर सिंह के स्थान पर हरजीत सिंह उर्फ जीत सिंह पुत्र हजूर सिंह, क्रम संख्या 13 पर अंकित नाम वीर सिह पुत्र किशना राम के स्थान पर वीर सिंह उर्फ नानक पुत्र कृष्ण सिंह उर्फ किशना राम तथा क्रम संख्या 18 पर अंकित नाम सरजीत कौर पुत्री किशना राम के स्थान पर सरजीत कौर उर्फ गुरमेल कौर पुत्री किशना राम उर्फ कृष्ण सिंह नाम दर्ज किए जाने व हरजीत सिंह, गुरमुख सिंह पिसरान हजूर सिंह के नाम दर्ज 0.526 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 2 वीर सिंह पुत्र हजूर सिंह को 0.175 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा।

आज दिनांक 22.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2025/940 दिनांकः 23.12.202

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानु पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिक
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)